

कैनडा ने अपने 4 1 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया

कैनडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर अफसोस जताया

ओटावा, 20 अक्टूबर (वार्ता)। कनाडा ने भारत में तैनात अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है और दोनों देशों के बीच खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या को लेकर बनी स्थिति पर अफसोस जताते हुए यह भी कहा है कि भारत का निर्णय कनाडा का ध्यान हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वैध जांच से नहीं भटकाएगा।

कनाडा के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार देर रात एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। बयान में कनाडा ने भारत की कार्रवाई को अनुचित, तनाव बढ़ाने वाली और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। कनाडा ने यह भी कहा है कि वह प्रतिशोध में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

बयान में कहा गया, “कनाडा ने पुष्टि की है कि भारत ने 20 अक्टूबर तक नयी दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए एकतरफा प्रतिरक्षा हटाने की

30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार

जयपुर, 20 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि, तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को होने वाली सालाना वेतन वृद्धि अदा किया जाए। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता छैल बिहारी शर्मा व डेड दर्जन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाटक ने अदालत को बताया कि, राज्य सरकार ने रिवाइज़ वेतन स्केल नियम, 2008 व 2017 के जरिए प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में एकरूपता लाने के लिए सालाना वेतन वृद्धि की तारीख एक जुलाई तय कर की है। इसके चलते जो कर्मचारी एक दिन पहले यानी तीस जून को रिटायर हो जाते है, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रहना पड़ता है। कर्मचारियों की पेंशन और अन्य परिलाभों पर भीइसका नकारात्मक असर पड़ता है। याचिका में कहा गया कि, सरकार कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्व में काम कर चुकने वाली अवधि के

- कैनडा के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कैनडा में भारत की कार्रवाई को अनुचित, तनाव बढ़ाने वाली और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। कैनडा ने यह भी कहा है कि, प्रतिशोध में वह कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं करेगा।**

अपनी योजना को औपचारिक रूप से सूचित किया था। इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों की प्रतिरक्षा छीन लिए जाने का खतरा था।

बयान में कहा गया, इन कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों पर भारत की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सुरक्षा निहितार्थ को देखते हुए, कनाडा ने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

बयान में कहा गया, राजनयिक विशेषाधिकारों को एकतरफा ढंग से हटाना राजनयिक संबंधों पर विनया संधि सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है।भारत द्वारा की गई यह

कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और तनाव बढ़ाने वाली है। कनाडा ने कहा, “भारत ने उन सभी कनाडाई राजनयिकों को मान्यता दी थी जिन्हें वे अब निष्कासित कर रहे हैं। वे सभी राजनयिक सद्भावना से और दोनों देशों के व्यापक लाभ के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।”

बयान में कहा गया, राजनयिक छूट का सम्मान किया जाना चाहिए और मेजबान देश द्वारा इसे एकतरफा रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि हम इस मानदंड को तोड़ने की अनुमति देते हैं, तो कहीं भी कोई भी राजनयिक सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार, कनाडा सरकार राजनयिक मानदंडों का सम्मान करना

जारी रखेगी और इस कार्रवाई का प्रतिकार नहीं करेगी।”

कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत का निर्णय निज्जर की हत्या की कनाडा की वैध जांच से ध्यान नहीं भटकाएगा। इस मामले में कनाडा की प्राथमिकताएं सत्य का पता लगाना, कनाडाई लोगों की सुरक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा बनी हुई है।”

बयान में कहा गया, कनाडा अंतरराष्ट्रीय कानून का बचाव करना जारी रखेगा, जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। कनाडा भारत के साथ जुड़ना जारी रखेगा और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे बातचीत के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

कनाडा ने कहा, दुर्भाग्य से, इस सामूहिक निष्कासन से हमारे परिचालन पर असर पड़ेगा और ग्राहक सेवा प्रभावित होगी।अब हम अगली सूचना तक वाणिज्य दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मजबूर होंगे।

‘सरकार के प्रचार कार्यों में सेना को लगाना अनुचित है’

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता)। कांग्रेस नेता कर्नल (अवकाश प्राप्त) रोहित चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाने में सेना के जवानों का इस्तेमाल कर रही है जो अनुचित और पूरी तरह से गलत है।

कर्नल चौधरी ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में संबंदादाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सेना का

- कांग्रेस नेता एवं कर्नल (अवकाश प्राप्त) रोहित चौधरी ने कहा कि प्र.मंत्री मोदी ने सरकारी योजनाओं के प्रचार के पोस्टर सेना को थमा दिये हैं।**

काम देश की सेवा करना है और किसी भी सरकार को अपनी उपलब्धियों के प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना के हाथ सरकारी योजनाओं के पोस्टर थमा दिए हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक संकुलर जारी किया है कि देश में मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़े 822 सेल्फी पॉइंटर बनेंगे।

भारत ने कैनडा के बयान का विरोध जताया

नयी दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता)। भारत ने कनाडा के 41 राजनयिकों को कम किए जाने के फैसले को कनाडा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताए जाने की आलोचना की है और कनाडा के बयान को खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा, हमने भारत में कनाडाई

- भारत ने कैनडा के 41 राजनयिकों अपने देश से हटाकर वापस भेजे जाने के फैसले को कैनडा सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन बताए जाने की आलोचना की है और कैनडा के बयान को खारिज कर दिया है।**

राजनयिक उपस्थिति के संबंध में 19 अक्टूबर को कनाडा सरकार का बयान देखा है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक संख्या और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप, नयी दिल्ली और ओटावा में दोनों देशों के राजनयिकों की उपस्थिति में समानता की मांग का आधार बना।

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

जयपुर, 20 अक्टूबर। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर प्रथम, ने 14 साल की बालिका का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राहुल हुसैन को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 19 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी वह दुष्कर्म के अपराध की श्रेणी में ही माना जाता, क्योंकि नाबालिग पीड़िता की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे शारीरिक कष्ट दिया,बल्कि उसे भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाई है। ऐसे में अभियुक्त के कृत्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि इस संबंध में पीड़िता के पिता ने 22

न्यूज़क्विलक के प्रमुख को राहत देने से कोर्ट ने फिलहाल इन्कार किया

कोर्ट ने न्यूज़क्विलक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और पोर्टल के एच.आर. हैड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। न्यूज़क्विलक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़क्विलक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दी। दोनों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेश से पैसे मिले थे। दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया और उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया जिसके

- दिल्ली पुलिस ने जमानत का इस आधार पर विरोध किया कि, भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए प्रबीर पुरकायस्थ के समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी।**

बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश पारित किया। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्रार्थमिकी में आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी क्षेत्र (एनसीआर) में नौ महिला प्रनकारों से समाचार पोर्टल को चीन से पूछताछ की थी।

डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि प्रार्थमिकी में नामजद और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए थे। न्यूज़क्विलक के कार्यालयों और पत्रकारों के आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की थी।

केन्द्रीय चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मौजूद था। बैठक में भाजपा की दूसरी सूची को लेकर मंथन करके नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई। कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। लिस्ट में 50 से 70 नाम के बीच घोषणा होने की संभावना है। दूसरी लिस्ट में भी भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है। दो या तीन सांसद विधानसभा चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं, लिस्ट में मौजूद विधायकों में से करीब 45-50 विधायकों को फिर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि, 8 से 10 सीटों पर भाजपा नए प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनाव में उतारेगी।

बैठक में, पहली सूची के बाद प्रदेश में हुए चौरफा विरोध को कम करने की रणनीति भी बनाई गई। बताया जा रहा है कि, दूसरी सूची के बाद जो विरोध होगा उसे कोर ग्रुप के सभी नेता डैमैज कंट्रोल करके शांत करेंगे। चर्चा है कि, इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रदेश के कोर ग्रुप को देने दी है।

गौरतलब है कि, दूसरी लिस्ट पर सर्वसम्मति बनाने के लिए पिछले तीन दिनों में दो बार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं, गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रभारी प्रह्लाद जोशी के आवास पर एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक हुई।

‘शिकायत वापस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
तीन पृष्ठ लंबे शपथ पत्र में दावा किया कि मोइज़ा के उनके साथ संसद में लॉग इन करने का पासवर्ड साझा किया था, ताकि दर्शन सचिव मोइज़ा की ओर से प्रश्न पोस्टर कर सके।

उन्होंने दावा किया कि मोइज़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शर्मिंदा करने के लिए गौतम अडानी को निशाना बनाया।

मोइज़ा ने शपथ पत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया कि न तो

यह अधिकारिक लैटरहेड पर है और न इसे नोटरी से प्रमाणित करवाया गया है।

महुआ ने एक बयान में कहा शपथ पत्र सफ़ेद कागज पर है, न कि लेटर हेड पर और न ही यह नोटरी से प्रमाणित है देश का एक अति प्रतिष्ठित और शिक्षित व्यापारी ऐसा क्यों करेगा जब तक के इसके लिए उसके सिर पर बंदूक न रखी गई हो।

उन्होंने आरोप लगाया इस पत्र की सामग्री एक मजाक है। इसका प्रारूप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी मूर्ख ने बनाया होगा जो भाजपा की आईटी सेल में रचनात्मक लेखक भी है, इसने मोदी और अडानी का स्तूती शास्त्र है जबकि उनके दृढ़ विरोधी का संपर्क मुझे और मेरे कथित भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है।

लोकसभा की एथिक्स कमेट्री ने दुबे और देहराई से कहा है कि वे मोइज़ा के खिलाफ अपने आरोपों में उसके समक्ष बयान दें।
लोअसभा अध्यक्ष ने कमेट्री को महुआ के विरूद्ध आरोपों की जांच के आदेश दिए है जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते है और इन पर महुआ को अनैयोग घोषित किया जा सकता है।

‘चीन के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पैसेफिर क्षेत्र में चीन की सेना के एयर इन्टरसेप्टर्स रिकॉर्ड किए हैं इनमें से एक अमेरिका के विमान से 10 फीट दूर ही था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुख्य एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एच.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिंग सेंटर, वॉक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं

2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभानरा हाउस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन:2206061, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, वन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-भूपरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424

डिप्टीडोनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्ड्रीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चुरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,

प्रकाशिता। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय-पल्लया हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031,